मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal 462003(M.P.) India
(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक / स्था. / राजभाषा / 2023 / 324 दिनांक : 02 / 03 / 2023

// स्मरण परिपत्र //

भारत शासन की राजभाषा नीति के अनुपालन के संबंध में संस्थान की राजभाषा समिति को प्रत्येक तिमाही में एक प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को भेजना होता है। इसके लिए प्रत्येक विभाग / अनुभाग द्वारा किया गया हिन्दी से संबंधित पत्राचार एवं हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों की जानकारी देने हेतु निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से एक परिपत्र (क्रमांक / ए.बी. / 2022 / स्था. / राजभाषा / 1232 दिनांक 30.12.2022 (प्रति संलग्न)) भेजा गया था किंतु अभी तक मात्र कुछ ही विभागों (संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, विभागाध्यक्ष रसायनिक अभियांत्रिकी, विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी, विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग, विभागाध्यक्ष विद्युत अभियांत्रिकी, विभागाध्यक्ष यांत्रिक अभियांत्रिकी, विभागाध्यक्ष वास्तुकला एवं योजना, विभागाध्यक्ष मानविकी, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन, पुस्तकालय, प्रवेश अनुभाग, वित्त एवं लेखा अनुभाग, भवन अनुभाग, परीक्षा अनुभाग) से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

अतः बचे हुए शेष विभागाध्यक्षों एवं अनुभाग प्रभारियों से पुनः अनुरोध है कि यदि अभी तक प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है तो शीघ्र ही तीन कार्य दिवस के अन्दर संस्थान के "राजभाषा प्रकोष्ठ को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

गौरव द्विवेदी 02/03/23
उप–कुलसचिव (स्था.)
संयोजक राजभाषा समिति

प्रतिलिपिः

1. समस्त संकायाध्यक्ष।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. अनुभागीय अधिकारी।
4. डॉ सविता दीक्षित, विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग एवं परामर्शदात्री राजभाषा समिति, मेनिट भोपाल।
5. प्रभारी, वेबसाइट–अपलोड हेतु।
6. निज सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
7. निज सहायक निदेशक, निदेशक महोदय को सूचनार्थ।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal 462003(M.P.)India
(An Institution of National Importance, under Ministry of Education, Govt. of India)

क्रमांक / ए.बी. / 2022 / स्था. / राजभाषा / 1232 दिनांक 30/12/2022

// परिपत्र //

संस्थान में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में संस्थान हिन्दी राजभाषा समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया है जिन पर राजभाषा नीति के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है :

1. सभी विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / अनुभागीय अधिकारी प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के उपरांत 10 दिवस के अंदर तिमाही प्रतिवेदन राजभाषा प्रकोष्ठ को आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
2. संस्थान में समस्त विभागों में सभी प्रकार के प्रदर्शित बोर्डों को द्विभाषी किया जाना सुनिश्चित करें।
3. संस्थान के समस्त विभागों में मैनुअल, संहिताएं, साहित्य संबंधी लेखन एवं पाठ्य सामग्री जैसे रबर की मोहरें, नामपट्ट, साईन बोर्ड, सूचनापट्ट, वाहनों पर द्विभाषी नाम, पत्रशीर्ष, प्रतीक चिन्ह का द्विभाषी होना (लिखित या मुद्रित) अनिवार्य है।
4. संस्थान में आगामी आयोजित सभी कार्यक्रम में छपने वाले बैनर, झण्डे, ब्रॉशर एवं समस्त प्रदर्शन एवं पाठ्य सामग्री आदि को द्विभाषी होना चाहिए।
5. मूल पत्राचार एवं फाइलों पर टिप्पण (नोटिंग) में हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना है एवं अंग्रेजी के पत्रों पर भी हिन्दी में हस्ताक्षर किये जा सकते हैं।
6. ई–मेल के हिन्दी की सक्षमता का उपयोग करते हुए हिन्दी में ई–मेल करने का प्रयास।

30/12/2022

निदेशक

प्रतिलिपिः

1. समस्त संकायाध्यक्ष।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. अनुभागीय अधिकारी।
4. प्रभारी, वेबसाइट–अपलोड हेतु।
5. निज सहायक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
6. निज सहायक निदेशक, निदेशक महोदय को सूचनार्थ।